न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रींवा जिला रींवा म0प्र0 ।

Rs. 30/-

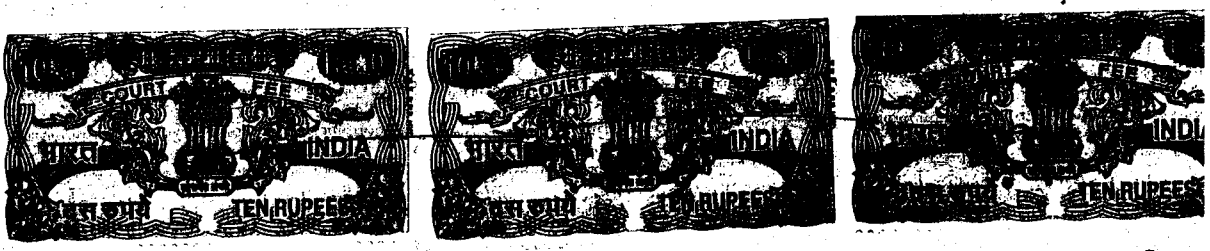

R 5253-II/16

फूलचन्द्र वर्मा तनय स्व0 गोपीचन्द वर्मा उम्र 65 वर्ष नि0 घोघर हाल मुकाम पाण्डेन टोला नगरिया रींवा तह0 हुजूर जिला रींवा म0प्र0 ....**आवेदक/निगराकार**

बनाम

सुशील कुमार वर्मा तनय स्व0 अर्जुन दास वर्मा नि0 घोघर रींवा तह0 हुजूर जिला रींवा म0प्र0

..............................**अनावेदक/गैरनिगराकार**

श्री विद्याधर ... द्वारा पेश। 7.6.16

7-6-16

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् नजूल तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र0 185 अ 6/ 2008-09 आदेश दिनांक 22/3/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/3/2016 विधि एवं प्रक्रिय के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी के है।
2. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा आ0 6 नि0 17 के तहत आवेदन पूर्व ं पेश किया गया था। उस पर अनावेदक द्वारा कोई जबाब नहीं दिया और जबाब देने का सम लिया जाता रहा किन्तु प्रकरण में अनावेदक के उपस्थित न होने पर भी प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकर नियत किया जाता रहा। जिसके विरोध में दिनांक 14/3/2016 को आवेदक के आवेदन आ0 नि0 17 को स्वीकार किया गया और उसके बाद प्रकरण आवेदक के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत कि गया जो पेशी दिनांक 22/3/2016 नियत की गई और दिनांक 14/3/2016 को भी अनावेद प्रतिपरीक्षण के लिये उपस्थित नहीं था उसके बाबजूद भी आर्डरशीट में अगली ति 30/3/2016 दी गई थी और बाद में अनावेदक का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दि गया। जबकि अनावेदक के अधिवक्ता उपस्थित थे अनावेदक उपस्थित नहीं था और बाद अनावेदक उपस्थित होने पर उसका प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया और प्रकर अनावेदक की साक्ष्य के लिये नियत किया गया और उस समय कभी भी अनावेदक उपस्थित न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5253–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विद्याधर शर्मा उपस्थित होकर यह निगरानी नजूल तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 185/अ–6/2008–09 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.3.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धरा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन पूर्व में पेश किया गया था, उस पर अनावेदक द्वारा कोई जबाव नहीं दिया ओर जबाव देने का समय लिया जाता रहा किन्तु प्रकरण में अनावेदक के उपस्थित न होने पर भी प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया जाता रहा। दिनांक 14.3.16 को आवेदक के आवेदन आदेश 6 नियम 17 का स्वीकार किया गया और उसके बाद प्रकरण आवेदक के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया जो पेशी दिनांक 22.3.16 नियत की गई और दिनांक 14.3.16 को भी अनावेदक प्रतिपरीक्षण के लिये उपस्थित नहीं था उसके बाबजूद भी आदेश पत्रिका में अगली तिथि दिनांक 30.3.16 दी गई थी और	

बाद में अनावेदक का प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनावेदक का प्रतिपरीक्षण का अवसर दिनांक 23.3.16 समाप्त किया जावे तथा आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को प्रतिपरीक्षण के लिये लगभग 4 पेशियां दी गई है लेकिन प्रकरण लंबित रखने की मंशा से वह समय की मांग करते रहे। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य